CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

21वीं सदी में महिलाओं की भूमिका

डॉ. कीर्ति वर्मा
Assistant Professor Sociology
In Front Of Podar College Nawalgarh Jhunjhunu Rajasthan
Email-vkirti128@gmail.com, Mobile-8905114353

First draft received: 18.03.2024, Reviewed: 22.03.2024, Final proof received: 25.03.2024, Accepted: 28.03.2024

सार-संक्षेप

किसी भी राष्ट्र के चहुँमुखी विकास के लिये उसकी समृद्धि खुशहाली के लिये समाज के सभी नागरिकों का योगदान अपेक्षित होता है। केवल पुरुषवादी सोच या पितृसत्तात्मक विचारधारा से कोई भी राष्ट्र उन्नति के पथ पर पर तेजी से अग्रसर नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र के समस्त नागरिक चाहे व किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, लिंग आदि से संबंध रखते हो, के संगठित योगदान से ही राष्ट्र को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द *:* पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज, *पितृसत्तात्मक विचारधारा आदि.*

प्रस्तावना

अतीत/ भूतकाल, वर्तमान और भविष्य किसी भी समाज के विकास की प्रक्रिया को बताते है अतीत में गए बगैर हम महिलाओं के अस्तित्व और स्थिति का उचित मूल्यांकन नहीं कर सकते है। आदिम युगीन समाज से लेकर आधुनिक कालीन समाज मानव के सपनों का परिणाम है, जो आज वर्तमान में अपने सामने है।

आधुनिकीकरण के इस युग ने कस्बों, नगरों ओर महानगरों की महिलाओं को बहुत प्रभावित किया है। महिलाएँ परम्परागत सामाजिक कुरितियों से बाहर निकल रही है, आधुनिकीकरण की चेतना ने महिलाओं को काफी हद तक प्रभावित किया है। अच्छे जीवन की महत्वाकांक्षा एक शिक्षित और सामान्य महिला में भी उत्पन्न हुई है। कड़े संघर्ष के पश्चात एक शिक्षित और स्वावलम्बी महिला अपने और अपने परिवार के विकास के लिए अन्धविश्वासी कुरीतियों को तोड़ने में जरा भी पीछे नहीं है।

महिलाएँ, मानवीय भावना और मानसिक क्षमता के आधार पर पुरुष के बराबर है लेकिन फिर भी उसे अपनी आबरू और मानसिक तार्किक क्षमता के आधार पर संघर्ष करना पड़ता है। परन्तु आज की महिला/नारी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग है। महिला की इसी स्वाभाविक चेतना ने उसकी पारम्परिक छवि को खण्डित कर दिया है।

अतः आज में गर्व से कह सकती हुँ कि इस पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज में महिलाएँ निश्चित रूप से आगामी सुनहरे भारत की नींव को हरसंभव मजबूत करने का प्रयास कर रही है जो सच में तारीफ योग्य है हाँ लेकिन कुछ जगह अभी भी महिलाएँ घर की चारदीवारी में कैद होकर रूढ़िवादी परम्पराओं को सहन कर रही है आधुनिकीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण तेजी से आगे बढ़ा है।

भारत का बुद्धिजीवी वर्ग सदैव महिला सशक्तिकरण का पक्षघर रहा है, महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई है, आज महिला पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है वह अपनी सार्थकता तथा उपयोगिता को अपनी कार्यक्षमता तथा कार्यशैली से निरंतर प्रदर्शित कर रही है। किसी भी राष्ट्र के चहुँमुखी विकास के लिये उसकी समृद्धि खुशहाली के लिये समाज के सभी नागरिकों का योगदान अपेक्षित होता है। केवल पुरुषवादी सोच या पितृसत्तात्मक विचारधारा से कोई भी राष्ट्र उन्नति के पथ पर पर तेजी से अग्रसर नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र के समस्त नागरिक चाहे व किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, लिंग आदि से संबंध रखते हो, के संगठित योगदान से ही राष्ट्र को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है।

भारतीय संविधान में भी महिलाओं को कुछ अधिकार दिये है जैसे–

- अनुच्छेद 14 – भारतीय संविधान में सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार
- अनुच्छेद 15 (1) – राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने
- अनुच्छेद 16 – अवसर की समानता
- अनुच्छेद 39 (घ) – समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी
- अनुच्छेद 15 (3) – महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति।
- अनुच्छेद (ए) (ई) – महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने
- अनुच्छेद 42 – काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ, सुरक्षित करने, प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 243 (घ) – पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं में 73 वें व 74 वें संधोधन के माध्यम से महिला आरक्षण
- अनुच्छेद 47 – पोषाहार जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकारी दायित्व
- अनुच्छेद 330 – 84 वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण
- अनुच्छेद 332 – 84 वे संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण

समय – समय पर महिलाएँ अपने बेहतरीकरण हेतु सक्रियता से आवाज उठाती रही है, जिसके उदाहरण – पर्दाप्रथा, विधवा विवाह, तीन तलाक, हलाला आदि है। आज समूचा देश हर तरीके से समाज की सभी बहन, बेटियों की हिफाजत चाहता है।

21 वी सदी में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

महिला शिक्षा के प्रति लोगों का व्यवहार और दृष्टिकोण बड़ी तेजी से बदल रहा है। शिक्षा को जीवन की आम समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यन्त आवश्यक मानकर लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है पहले महिलाएँ आर्थिक समस्याओं के चलते मजबूरी में ही घर की चार दीवारी को लांघ कर व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय होती थी लेकिन अब महिलाएँ अपने आत्मसम्मान और सुनहरे भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और फिर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय हो रही है। पहले लड़कियों को शिक्षित करने का उद्देश्य होता था उनके लिए एक पढ़ा–लिखा अच्छा वर ढूढ़ना। परन्तु आज लड़कियों को अपनी मर्जी के विषय चुनने तथा अपनी इच्छा से नौकरी करने की आजादी दी जाने लगी है।

पहले लड़की की नौकरी उसके विवाह में दिक्कते पैदा करती थी। लेकिन अब कामकाजी वधू को वरीयता दी जाती है। कामकाजी–महिलाओं के प्रति पुरूषों के रूख में भी अब सकारात्मक बदलाव आया है। कामकाजी महिलाओं की परेशानियों को समझकर परिवार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इसलिए महिलाओं को समाज में स्वतंत्र गतिशीलता मिल रही है देश की सर्वोच्च परीक्षा UPSE CSE में हाल ही 2022 के परिणामों को देखे तो शीर्ष चार रैंक धारक लड़कियाँ है और शीर्ष 10 परिणाम देखे तो टॉपर्स में छः लड़कियाँ 1. इशिता किशोर 2. गरिमा लोहिया 3. उमा हरथी एन 4. स्मृति मिश्रा 5. गहना नव्या जेम्स 6. कनिका गोयल और चार लड़के है यह महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का ही असर है।

1951 से 2011 में साक्षरता में महिलाओं की स्थिति

वर्ष	महिला साक्षरता प्रतिशत में	पुरुष साक्षरता प्रतिशत में	सकल साक्षरता प्रतिशत में	महिला साक्षरता में दशाब्दि वृद्धि	साक्षरता दर में पुरुष–स्त्री अन्तर
1951	8.86	27.16	18.33	–	8.30
1961	15.34	40.40	28.31	6.48	25.06
1971	21.97	45.95	34.45	6.63	23.98
1981	29.29.	56.50	43.87.	7.88	26.25
1991	39.29	64.13	52.21	9.44	24.84
2001	54.16	75.85	65.38	14.87	20.89
2011	65.46	82.14	74.04	18.12	16.68

परन्तु भारत में आज भी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित है। वही पढ़ाई–लिखाई के दौरान बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़को की संख्या से बहुत ज्यादा है क्योंकि लड़कियों से यही उम्मीद की जाती है कि वे घर के काम काज में मदद करें वही उच्च शिक्षा की बात करे तो बहुत सी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है, क्योंकि उनके परिवार उन्हे पढ़ाई के लिये घर से दूर नहीं भेजते है। उनका अधिकतर समय घर के कामों में ही खर्च होता है जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का अंतराल बढ़ता चला जाता है।

हाँलाकि 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 प्रतिशत थी। जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वही राष्ट्रीय साँख्यिकी कार्यालय के अनुसार साल 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत जबकि महिलाओं की साक्षरता 70.30 प्रतिशत थी। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

21 वीं सदी में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है पहले चुनाव में सदन में केवल 5 प्रतिशत महिलाएँ थी वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई है।

2019 के लोकसभा चुनाव में 724 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिनमें से 78 निर्वाचित हुई। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सदस्या है जो कि 2014 के चुनावों की तुलना में बहुत अधिक है जिसमें केवल 68 महिलाएँ लोकसभा के लिए चुनी गई थीं इसी तरह राज्यसभा में 16 मार्च, 2023 तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 हैं इसके अलावा वर्तमान मंत्रिपरिषद में 11 महिला मंत्री है।

अतः आज महिलाएँ घर की चार दीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही है उदाहरण के तौर पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती को देख रहे है। लेकिन देश में आबादी के अनुसार देखे तो राजनीति में महिलाओं की संख्या काफी कम है।

वहीं न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोष जनक नहीं है देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ है।

ऐतिहासिक स्वर्णाक्षर

- सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी।
- सन् 1963 में सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) बनी।
- सन् 1966 मं इंदिरा गाँधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
- सन् 1972 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली महिला बनी।
- सन् 1979 में मदर टेरेशा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी।
- सन् 1997 में कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
- सन् 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली राष्ट्रपति बनी।
- सन् 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी।
- सन् 2017 में निर्मला सीतारमन पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी।

आर्थिक रूप से कितनी सक्षम है भारतीय महिलाएँ

महिलाओं की अधिकांश समस्या का कारण आर्थिक रूप से दुसरों पर निर्भरता है जो कि एक चिंता का विषय है देश की कुल आबादी में 48 फीसदी महिलाएँ है जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाओं को ही रोजगार प्राप्त है इसी कारण भारत की GDP में महिलाओं का योगदान केवल 18 प्रतिशत ही है। यदि महिलाओं को पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी के अवसर प्रदान कर दिये जाये तो महिलाएँ भी पुरुषों की तरह आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जावेंगी।

समाज में महिलाओं का योगदान

आधुनिक भारतीय समाज में महिलाएँ वास्तव में आगे है यदि हम उनकी तुलना प्राचीन काल से करते है तो महिलाएँ सभी क्षेत्रों में सशक्त नहीं है।

दो लिंगों के बीच संतुलन बनाए रखने तक महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रभाव प्राप्त किया है महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता है हांलाकि कुछ मामलों में यह बात सही नही है क्योंकि समाज में कुछ–कुछ पुरानी परम्पराएँ भी चलन में है।

कई स्थानों पर महिलाओं को अभी भी हीन सेक्स के रूप में माना जाता है और केवल घर काम संभालने के लिए मजबूर किया जाता है। समाज की कुछ महिलाएँ परिवार की पुरानी परम्पराओं का पालन करना पंसद करती है वे अपना पूरा जीवन अपने पति और बच्चों के लिए जीती है परन्तु उच्च जीवन स्तर की समाज की कुछ महिलाएँ भविष्य में पुरुषों की तरह समान अवसर पाने की इच्छा रखने लगी है।

क्योंकि उनके परिवार द्वारा उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया जाता और हमेशा पुरुषों की तरह जीवन जीने के समान अवसर प्रदान किये जाते है।

अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि महिलाओं के बेहतरीकरण के लिए हम सभी को अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्हें सम्मान के साथ–साथ शिक्षा, व्यवहार, नौकरी व अन्य सभी स्थानों पर बराबरी देना होगा। नारी शक्ति ही सामाजिक धुरी और हम सबकी वास्तविक आधार है।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था – ''जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न आगे उन्नति कर सकेगी''

अतः हमें भारतीय सनातन संस्कृति के **''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता''** धारणा को साकार करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, शारदा आधी आबादी का यथार्थ – भारतीय नारी, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
- गुप्ता, सुभाषचन्द्र, कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2004
- गौड़ संजय, आधुनिक महिलाएँ और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2006
- भारद्वाज, निधि, महिला सशक्तिकरण, सागर पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण, 2012
- शर्मा, मंजू भारतीय समाज में महिलाओं का विकास

समाचार पत्र

- दैनिक भास्कर
- राजस्थान पत्रिका
- द टाइम्स ऑफ इण्डिया
- हिन्दुस्तान टाइम्स
- दैनिक नवज्योति
- अमर उजाला

पत्र–पत्रिकाएँ

- योजना
- सरिता
- गृहशोभा
- प्रतियोगिता दर्पण